99/2018

किस्म J.J ..... उनवान अतकुप

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

23/7 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible]

पधारे है। मतानुसार दिनांक..... को पेश हों।

9-7-24

9/7/24 पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते [illegible]

दिनांक 20-8-24 को पेश हो।

20/8/24 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible]

पधारे है। मतानुसार दिनांक..... को पेश हों।

[illegible]

21/10/24 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण के सायल व सायल वकील को बार-बार हवाल लगवाए जाने के बावजूद सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण को सायल व सायल वकील आगे चलाने रखने के इच्छुक नहीं रहे है। अतः मु० सं० 99/2012 [illegible] अतकुप अहम [illegible] के खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बरान से कम करते हुए, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:47:54 IST
Reason: SelfAttested